न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA148 Bhanwarram etc Vs Punaram etc

1. भंवरराम पुत्र गिरधारीराम गुर्जर
2. बुधाराम पुत्र गिरधारीराम गुर्जर
3. मूलाराम पुत्र गिरधारीराम गुर्जर
4. हुक्माराम पुत्र गिरधारीराम गुर्जर
5. नरायणी देवी पुत्री गिरधारीराम गुर्जर
6. लीला पत्नी श्रवणराम गुर्जर
7. गणपतराम पुत्र भंवराराम गुर्जर
8. अचलाराम पुत्र भंवराराम गुर्जर
9. दुर्गा पत्नी दयाराम गुर्जर
10. माधाराम पुत्र बुधाराम गुर्जर
11. लिछमणराम पुत्र बुधाराम गुर्जर
12. हीराराम पुत्र हुक्माराम गुर्जर
13. कानाराम पुत्र हुक्माराम गुर्जर

निवासीगण देवनगर, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. पूनाराम पुत्र पेमाराम गुर्जर
   निवासी देवनगर, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भोपालगढ
   जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 मई 2018 सहायक कलेक्टर, भोपालगढ राजस्व प्रकरण संख्या 21/2007 पूनाराम बनाम भंवराराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बी.एल. विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 06 फर., 2020

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 21/2017 पूनाराम व अन्य बनाम भंवराराम आदि में पारित आदेश दिनांक 24 मई 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 21 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक पूनाराम पुत्र पेमाराम ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम देवनगर स्थित आराजी खाता सख्या 43 खसरा संख्या 72 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा बारानी तृतीय के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92ए के तहत अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा पेश किया जाना जाहिर किया और वादग्रस्त आराजी के पूरब दिशा के ½ भाग की 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की होना जाहिर करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 12 अप्रेल 2017 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, साथ ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए आगामी तारीख पेशी 05 मई 2017 मुकर्रर की गयी। दिनांक 20 नवम्बर 2017 को प्रार्थी-रेस्पो. के आवेदन पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट तलब की गयी, जो 26 मार्च 2018 को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका दिनांक 26 मार्च 2018 के अनुसार आगामी पेशी 30 अप्रेल 2018 मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु मुकर्रर की गयी, जो इत्तवा की जाकर 24 मई 2018 मुकर्रर हुई। दिनांक 24 मई 2018 को पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12 अप्रेल 2017 की पुष्टि कर दी गयी जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली को कोर्ट कैम्प खारिया खंगार में बिना पक्षकारान को सूचित किये तथा बिना सुने रख कर पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं बाबत कोई विवेचन कर निष्कर्ष नहीं दिया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि प्रार्थी-रेस्पो. ने आलौच्य प्रकरण में मात्र खंसरा संख्या 72 के संबंध में ही दावा किया है, जबकि इसके अलावा और 16 खसरान है। पेमाराम के देहान्त पर उसके 5 पुत्रों गिरधारी, श्रीराम, पूनाराम, सांवतराम व तुलछाराम ने 204 बीघा भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया, बंटवारे के बाद पूनाराम के आलवा चारों के जीवित रहते कोई विवाद नहीं हुआ, अपीलाण्ट गिरधारी के पुत्र है, पूनाराम सरकारी कर्मचारी है। भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के बेचान की बात आयी, तब एक खसरे पर बात अटकी, बंटवारे में खसरा संख्या 72 गिरधारी के हिस्से में आयी, बंटवारा आदेश की कोई अपील नहीं की गयी और अब नया दावा किया गया। वादग्रस्त भूमि पैतृक बतायी गयी जबकि पेमाराम के अन्य वारिसान को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। वादी-रेस्पो. सद्भावनापूर्वक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में सम्मन की सम्यक तामील के उपरान्त भी अपीलाण्ट्स उपस्थित नहीं हुए, अतः अपील स्तर पर उन्हें इस संबंध में कोई उज्र-एतराज करने का अधिकार हासिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र का अप्रार्थीगण की ओर से संयुक्त रूप से जवाब पेश किया गया था, अतः अब अपील स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में जबाब एवं सुनवाई का अवसर नहीं किया गया। अपील अदालत हाजा के समक्ष निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब का कोई समुचित संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

रेस्पो. संख्या दो की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण्या के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि वादी-प्रार्थी-रेस्पो. ने ग्राम देवनगर के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) संवत 2060-2063 के खाता संख्या 43 के खसरा संख्या 72 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा बारानी सोयम के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92ए के तहत दावा पेश किया है और उक्त खसरा के पूरब दिशा की ½ हिस्से की भूमि पर अपना हक-हिस्सा एवं कब्जा काश्त बताते हुए तदनुसार मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार किया गया। स्वयं प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम देवनगर स्थित आराजियात खसरा संख्या 318, 1194, 1500, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 222, 240, 317 कुल किता 17 रकबा 204 बीघा के मूल खातेदार पेमाराम के 5 पुत्र गिरधारीराम, श्रीराम, पूनाराम, सावंताराम व तुलछाराम हुए। **पेमाराम के देहान्त के बाद इन पॉचों पुत्रों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा किया गया। जिसके फलस्वरूप प्रत्येक पुत्र के हिस्से में आयी भूमि का विवरण जमाबंदी (खतौनी) ग्राम देवनगर संवत 2060-2063 के खाता संख्या 43 खातेदारी गिरधारीराम, खाता संख्या 152 खातेदार पूनाराम, खाता संख्या 277 खातेदार सांवतराम, खाता संख्या 100 खातेदार तुलछाराम एवं खाता संख्या 268 खातेदार श्रीराम की छायाप्रतियों में परिलक्षित होता है। मगर प्रार्थी-रेस्पो. ने इस बंटवारे और अन्य खसरान का अपने प्रार्थनापत्र में कहीं कोई जिक नहीं किया, इससे अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन को बल प्राप्त होता है कि प्रार्थी-रेस्पो. सद्भावनापूर्वक न्यायालय के समक्ष उपस्थित** नहीं हुआ है और तथ्यों को छिपा कर येन-केन-प्रकरेण अपने मनोरथ की सिद्धि करने पर आमदा है। इसके अलावा अदालत हाजा अपीलाधीन आदेश के अवलोकन करने के उपरान्त अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस तर्क से भी सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में विचारणीय प्रथम दृष्टया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं बाबत कोई विवेचन कर निष्कर्ष नहीं दिया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश एक स्पीकिंग न्यायिक आदेश की श्रेणी में रखे जाने योग्य नहीं पाये जाने से अदालत हाजा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करना उचित नहीं समझती है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, चूंकि गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स सारवान पायी जाती है, अतः समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में प्रकरण मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर खारिज कर पक्षकार के लिए न्याय-प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध करना न्यायोचित नहीं समझते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 मई 2018 अपास्त किया जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर